

सनी कपूर

बनाम

राज्य (चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश)

5 मई, 2006

[एस. बी. सिन्हा और पी. पी. नौलेकर, जे. जे.]

आपराधिक विचारण।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यः--गला घोटने के कारण मृत्यु-मृतक के लापता होने के संबंध में-अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज- मृत शरीर की बरामदगी की तारीख और समय के संबंध में स्पष्ट विसंगतियां-संदिग्ध दिखाई देने वाले अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति-गवाहों का साक्ष्य बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं-अभियुक्त व्यक्तियों पर धारा 397 के तहत आरोप नहीं लगाया गया-अभियुक्त व्यक्तियों से कोई बरामदगी नहीं की गई-कोई सबूत नहीं है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति मौजूद थे जब मृतक का गला घोंटा गया था-एक अन्य व्यक्ति शामिल था जिसका नाम जांच के दौरान कभी नहीं आया था- निर्णीत, सामान्य आशय स्थापित नहीं हुआ और धारा 302/34 के तहत आरोप नहीं बनता हैं- यहां तक कि

अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ षडयन्त्र का कोई आरोप भी नहीं लगाया गया- इन परिस्थितियों में, दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर दिया गया।

साक्ष्य का विवेचन- न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति- अभियुक्त व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने उस व्यक्ति के सामने स्वीकारोक्ति की जिसे वे कभी नहीं जानते थे- ऐसे व्यक्ति की साक्ष्य में यह खुलासा नहीं आरोपी व्यक्ति मदद के लिए उसके पास क्यों आए-व्यक्ति को चौथे आरोपी का नाम याद नहीं-व्यक्ति आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसे दिए गए बयानों का खुलासा नहीं कर रहा है- निर्णीत, यह संभावना नहीं है कि आरोपी व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने संस्वीकृति करेंगे जिसे वे कभी जानते नहीं थे- ऐसे व्यक्ति के कथन कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके सामने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की है, विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

एस दिल्ली में एक व्यापारी था और उन व्यवसायियों से अपना बकाया वसूलने के लिए 18.09.1999 पर या उसके आसपास चंडीगढ़ आया था, जिन्हें उसने पीडब्लू-16 सहित वस्तुओं की आपूर्ति की थी। जब एस 19.9.1999 पर दिल्ली नहीं पहुँचा तो एस, पीडब्लू-3 के भाई ने पीडब्लू-16 से संपर्क किया, जिसने अन्य विक्रेताओं से पूछताछ करने के बाद अपनी ओर से पुलिस को एक रिपोर्ट दी जिसे डी. डी. आर. संख्या 23 के रूप में 19.9.1999 को लगभग 7:20 अपराह्न पर दर्ज किया गया। हालांकि, एस

का शव 20.9.1999 पर मिला और उसका कुछ सामान गायब पाया गया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अन्तर्गत अपराध के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पीडब्लू-3 भी चंडीगढ़ पहुंचा और मृतक के शव की पहचान की।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को, जो रिक्शा चालक हैं, आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ये अपीलें की गईं।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि 20.9.1999 पर शव की बरामदगी को मृत व्यक्ति के भाई पीडब्लू-3 के द्वारा स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया जा सकता था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने 19.9.1999 की रात को मृतक के शव की पहचान की थी; पीडब्लू-11 की साक्ष्य, जिनके सामने अपीलकर्ताओं ने न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति की थी, विश्वसनीय नहीं है; पीडब्लू-19 और पीडब्लू-24 की साक्ष्य, जिन्होंने आखिरी बार अपीलकर्ताओं के साथ मृतक को देखा था, विश्वसनीय नहीं है। और अभियोजन "अपीलार्थियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा क्योंकि अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत आरोप नहीं लगाया गया था और उनसे कोई बरामदगी नहीं की गई थी।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. अभियोजन का विशिष्ट रूप से मामला यह है कि पी.डब्ल्यू. 16 के द्वारा 19.09.1999 को 7:20PM पर एक DDR No. 23 दर्ज करवायी गयी। मृतक की मृत्यु स्पष्ट रूप से 18 सितंबर, 1999 की रात को हुई थी। जाँच अधिकारी-निरीक्षक (पीडब्लू-25) के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है, कि उन्हें 20.9.1999 को सुबह लगभग 9.10 बजे पर एक वायरलेस संदेश मिला कि उद्योग भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ के पास एक शव पड़ा हुआ है। डॉक्टर (पीडब्लू-1) ने 20.9.1999 को लगभग 4:30 बजे उक्त मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। उनके अनुसार, शव परीक्षण से 10 से 12 घंटे पहले मृतक की मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मृतक के भाई पीडब्लू 3 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि वह 19.09.1999 की शाम 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचा। उक्त तिथि पर लगभग 10.30 शाम को उन्हें उद्योग भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ के पास एक शव पड़े होने के बारे में पता चला। वह और उसके दोस्त वहाँ पहुँच गए। पुलिस अधिकारी पहले से ही उक्त स्थान पर मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने शव की पहचान की। चाय विक्रेता (पीडब्लू-24) ने भी कथित तौर पर आरोपी और मृतक को 18.9.1999 पर दोपहर 10.30 पर देखा। उन्हें अगले दिन सुबह यानी 19.9.1999 पर शव बरामद होने के बारे में पता चला। अगर उनके बयान पर विश्वास किया जाए तो 19 तारीख की सुबह ही शव बरामद किया गया था। यहां तक कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी, डॉक्टर (पीडब्लू-1) के अनुसार,

मृतक की मृत्यु शव परीक्षण करने से 10 से 12 घंटे पहले हुई हैं। उपरोक्त आधार पर, अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास करना मुश्किल है। शव की बरामदगी की तारीख और समय के संबंध में दो स्पष्ट विसंगतियां हैं।
[888- सी, डी, एफ-एच; 889-ए-डी]

2. पीडब्लू-11 के अनुसार, आरोपी पहली बार उसके पास 29.9.1999 को आया था। वे मदद के लिए क्यों आए थे, इसका खुलासा नहीं किया गया था। वे केवल उसकी मदद इसलिए चाहते थे क्योंकि पुलिस ने उन पर किसी हत्या के संबंध में कुछ संदेह किया था। केवल इसी आधार पर अपीलार्थियों को कथित तौर पर पुलिस थाने ले जाया जा रहा था। पीडब्लू-11 ने यह खुलासा नहीं किया कि अपीलार्थी उसे कैसे जानते थे। उन्हें चौथे व्यक्ति का नाम याद नहीं था। यह वास्तव में एक बहुत आश्चर्य की बात है कि भले ही अपीलकर्ताओं ने कथित रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, वे स्वेच्छा से पीडब्लू-11 के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। यह फिर से आश्चर्य की बात है कि वे रास्ते में जांच अधिकारी से मिलेंगे। पीडब्लू-11 ने यह नहीं कहा कि अपीलकर्ताओं ने उसे मृतक का एक स्पष्ट विवरण दिया ताकि वह यह अनुमान लगा सके कि यह मृतक एस की हत्या से संबंधित मामला था। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं द्वारा न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के द्वारा कौन से कथन किए गए थे, इसका खुलासा नहीं किया गया था। यह पूरी तरह से संभव नहीं है कि तीनों अपीलार्थी एक संयुक्त वक्तव्य ही देंगे। पीडब्लू-11 ने यह खुलासा नहीं किया

कि क्या अपीलार्थियों में से किसी एक ने उसके समक्ष कथन किए या उन सभी ने एक के बाद एक कथन किए। यह पूरी तरह से संभव नहीं है कि आरोपी किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति करेगा जिसे वे कभी जानते नहीं थे। यह भी पूरी तरह से असंभव प्रतीत होता है कि अज्ञात व्यक्ति उसकी मदद के लिए आएंगे जब तक कि वह पुलिस अधिकारियों के करीबी के रूप में नहीं जाना जाता हो। इस प्रकार, उनके बयान विश्वास को प्रेरित भी नहीं करते हैं। [890- ई, एफ; 891-एफ-जी; 892-ए-बी]

जसवंत गिर बनाम. पंजाब राज्य, [2005] 12 एस. सी. सी. 438, पर निर्भर।

3.1. यह सर्वविदित है कि कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को आई. पी. सी. की धारा 34 के अपकार को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दो आधारभूत तथ्यों को स्थापित करना होगा; (i) अपराध करने का सामान्य आशय, और (ii) अपराध कारित करने में अभियुक्त की भागीदारी। यदि उपरोक्त दो अवयव संतुष्ट हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि साझा आशय रखने वाले व्यक्तियों में से कुछ की ओर से स्पष्ट रूप से कार्य किया गया हो। आई. पी. सी. की धारा 34 का अवलम्ब लेने के लिए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि संबंधित हमलावर का अन्य अभियुक्तों के साथ एक समान आशय था। [890- जी. एच; 891-ए, बी]

बी]मुन्ना चंदा बनाम असम राज्य, जेटी (2006) 3 एससी 366 =
[2006] 3 एससीसी 752, पर निर्भर।

3.2. यदि कोई अपराध करने का सामान्य आशय था, तो स्पष्ट रूप से ऐसा ही मृतक की कीमती वस्तुओं को लूटने का भी था। दिलचस्प बात यह है कि अपीलार्थियों पर आई. पी. सी.की धारा 397 के तहत आरोप नहीं लगाया गया था। उनसे कोई बरामदगी नहीं की गई थी। आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत आरोपित किए जाने के अभाव में, अपीलार्थियों को हत्या का दोषी ठहराना मुश्किल है, क्योंकि यह साबित नहीं हुआ है कि अपीलार्थियों में से या चौथे व्यक्ति में से वास्तव में कौन है जिसने मृतक की गला घोटकर हत्या कर दी थी। किसी भी सबूत के अभाव में कि वे सभी उस समय मौजूद थे जब मृतक का गला घोंटा गया था, धारा 302/34 के तहत आरोप को आकर्षित नहीं करता हैं। यहां तक कि उनके खिलाफ धारा 120-बी के संदर्भ में षडयंत्र का भी कोई आरोप नहीं लगाया गया था। [893- सी, डी, ई]

4. अपीलार्थियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया है। अब इस न्यायालय के कई फैसलों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध कारित करने को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को श्रृंखला में सभी सम्बन्धों को जोड़ने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से

केवल आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और किसी का नहीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक अन्य व्यक्ति शामिल था जिसका नाम जांच के दौरान कभी सामने नहीं आया। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वह व्यक्ति था जो मृतक का पूरा सामान लेकर भाग गया था। [1894- सी, जी।]

जसवंत गिर बनाम पंजाब राज्य, [2005] 12 एस. सी. सी. 438 और रामरेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, [2006] 3 स्केल 452, पर निर्भर।

5. पीडब्लू-19 भोजन परोसने वाले रेहड़ी में काम करने वाले, और पीडब्लू 24, चाय विक्रेता, जिन्होंने कथित तौर पर आखिरी बार अपीलार्थी राम आसरे को मृतक के साथ देखा था, की साक्ष्य बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। यह और भी मुश्किल है कि पीडब्लू-24 के इस कथन को स्वीकार करें कि मृतक सभी अपीलार्थियों के साथ चाय पीने के लिए सेक्टर 17 के कचरे के रास्ते से उसकी दुकान पर आएगा। एक व्यापारी आम तौर पर अपनी चाय पीने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान पर नहीं जाता है। इस बात की पूरी संभावना नहीं है कि वह एक रिक्शा चालक के साथ चाय पीएगा। यह कहना बेतुका होगा कि वह किसी दुकान पर सभी अपीलकर्ताओं के साथ एक साथ, जो सभी रिक्शा चालक हैं, चाय पीने जाएगा। वह दिल्ली का रहने वाला था। इस बात की शायद ही कोई

संभावना थी कि वह अपीलकर्ताओं को यहाँ व्यक्तिगत रूप से जानता होगा। भले ही यह माना जाए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रिक्शा में जा रहा था, अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए कुछ साक्ष्य लाना चाहिए था कि उसने राम आसरे या किसी अन्य अपीलार्थी का रिक्शा किराए पर लिया था। [895- ए, बी, सी]

6. इस तरह के साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थियों के खिलाफ पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं होगा। विवादित फैसले को अपास्त किया जाता है। [895- ई]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 871/2005

उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा के दण्डिक अपील संख्या 68 डी. बी. सं 2003 दण्डिक अपील सं. 872/2005, 1699/2005 में आदेश दिनांकित 26.10.2004 से।

अपीलार्थी की ओर से परमानंद गौर, अशोक कुमार शर्मा, बैजयोंटा बरुआ और अंसार अहमद चौधरी।

प्रतिवादी की ओर से कामिनी जायसवाल, शोमिला साक्षी और रानी मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा दिया गया था।

एक ही निर्णय से उत्पन्न होने वाली इन अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए लिया गया था और इस उभयनिष्ठ निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

निर्णय।

अपीलार्थी रिक्शा चालक हैं। उस पर सतीश कुमार मेहरा की हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक व्यापारी थे। वह मेसर्स काला उद्योग के नाम से जानी जाने वाली एक स्वामित्व फर्म चांदनी चौक, दिल्ली में चलाते थे। फर्म दुकानदारों को साड़ी और अन्य कपड़ों की आपूर्ति करती थी। वह 18.9.1999 को या उसके लगभग उन व्यापारियों से अपना बकाया वसूलने के लिए चंडीगढ़ आया था जिन्हें उसने साड़ियों की आपूर्ति की थी। उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे वे चंडीगढ़ के सेक्टर 22-सी में पंकज गुलाटी की दुकान पर गए। उसने उससे पहले कथित तौर पर 25, 000 /- नकद रुपये की राशि एकत्र की और मेसर्स अमरसन्स शॉप जो कि सेक्टर 22, चंडीगढ़ में स्थित है, से Rs.40, 000/- की राशि का चेक और प्रवीण गुलाटी और सतीश कुमार गुलाटी सहित अन्य लोगों से भी अलग-अलग रकम। वह दिल्ली पहुँचने के लिए बस में चढ़ने के लिए बस स्टैंड के लिए रवाना हुआ। हालांकि प्रवीण गुलाटी और सतीश कुमार गुलाटी को, सतीश कुमार मेहरा के भाई निर्मल मेहरा का सुबह लगभग 11.30 पर एक टेलीफोन कॉल आया कि वह दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। प्रवीण गुलाटी ने अन्य

विक्रेताओं से उनके बारे में पूछताछ की। जब उन्हें सूचित किया गया कि सतीश कुमार मेहरा दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, तो उनसे अनुरोध किया गया कि वे उस ओर से पुलिस को एक रिपोर्ट दें, जिसके अनुसार उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी जिसे डी. डी. आर. संख्या 23 के रूप में लगभग 7.20 बजे दर्ज किया गया था। पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. को 20.9.1999 की सुबह एक वायरलेस संदेश मिला कि सेक्टर 17/18 की सड़क के पास उद्योग भवन की चारदीवारी के पीछे एक शव देखा गया है। अनुसंधान अधिकारी, एस. आई. जनक सिंह, ए. एस. आई. हीरालाल, ए. एस. आई. हरिंदर सिंह, ए. एस. आई. परमजीत कौर, सिपाही पवन कुमार 161, सिपाही परमजीत सिंह 439, सिपाही जय भगवान 1556, के साथ मौके पर पहुंचे। यह पाया गया कि एक मृत व्यक्ति का शव पानी की खाई में पड़ा हुआ था और पास में उसका सामान देखा गया था। इन वस्तुओं में ड्राइविंग लाइसेंस शामिल था जिस पर मृतक सतीश कुमार मेहरा का फोटो और पता था। जिसे बाद में प्रवीण गुलाटी को भेजा गया जिन्होंने डी. डी. आर. संख्या 23 दिनांक 19.9.1999 दर्ज कराई थी। प्रवीण गुलाटी ने शव की पहचान सतीश कुमार मेहरा के रूप में की। जिसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 302/34 के तहत अपराध कारित करने के लिए अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी। मृतक निर्मल मेहरा का भाई भी चंडीगढ़ पहुंच गया। उन्होंने सतीश कुमार मेहरा के शव की भी पहचान की थी।

अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर चंद्र प्रकाश (पीडब्लू-11), जिसे सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है, से संपर्क किया। उन्होंने पहले ही पीडब्लू-11 को बताया था कि उन्हें विश्वास है कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उनके अनुसार, वे एक रिक्शा में आए और उसकी मदद मांगी। जब उन्हें पीडब्लू-11 द्वारा पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तब पुलिस दल उनसे मिला। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि कहा जाता था कि उन्होंने उनके बारे में पीडब्लू-11 के समक्ष अपराध में भागीदारी की न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति दी थी। पुलिस हिरासत में रहते हुए उन्होंने स्वीकृति की। कहा जाता है कि उन्होंने आगे स्वीकारोक्ति की जिसके कारण दो रिक्शा कथित रूप से बरामद हुए। अपीलार्थियों पर उपरोक्त आधार पर मुकदमा चलाया गया।

विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष, उन व्यापारियों के अलावा, जिनसे मृतक ने राशि एकत्र की थी, प्रथम सूचनाकर्ता और मृतक के भाई के साथ-साथ तीन अन्य गवाहों का अभियोजन की आरे से परीक्षण किया गया। पीडब्लू-19 रामानंद था, जो ज्ञान चंद्र के साथ काम कर रहा था, 'रेहड़ी' चला रहा था। रिक्शा चालक और बस के यात्री कथित तौर पर स्टैंड पर वहाँ भोजन करते थे। अदालत में 19.2.2002 को उसका परीक्षण किया गया। वो अनपढ़ था। उनके अनुसार, लगभग ढाई साल पहले रात करीब साढ़े नौ बजे एक व्यक्ति उनकी रेहड़ी पर खाना खाने आया था। उक्त व्यक्ति शराब के नशे में था। खाना खाने के बाद, उन्होंने 20 /- रुपये की राशि

का भुगतान किया। कथित तौर पर कुछ दूरी पर एक रिक्शा चालक उसे वहाँ से ले गया। ड्राइविंग लाइसेंस में उसकी तस्वीर देखकर उसने मृतक की पहचान की। उन्होंने यहाँ अपीलकर्ताओं में से एक, राम आसरे की भी पहचान की, जो अपना भोजन लेने के लिए उक्त 'रेहड़ी' के पास जाता था।

अभियोजन पक्ष ने विनोद कुमार का पीडब्लू-24 के रूप में परीक्षण किया वह सेक्टर 17 में एक चाय विक्रेता था। कहा जाता है कि 18.9.1999 को लगभग 10.30 शाम को उन्होंने देखा था कि आरोपी एक अन्य 'लड़के' के साथ सेक्टर 17 की ओर से आ रहे थे, जिसके बाद वे कथित तौर पर एक नीलम की ओर चले गए। उसे अगले दिन सुबह एक व्यक्ति की हत्या के बारे में पता चला। उनके अनुसार, मृतक वही व्यक्ति था जिसे आरोपी के साथ 18.9.1999 पर लगभग 10.30 बजे देखा गया था। अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त तिथि के अलावा उन्हें कोई अन्य तिथि याद नहीं है जब वे किसी और व्यक्ति से मिले थे। उन्होंने कहा था कि वे सभी एक रिक्शा में आए थे जिसे राम आसरे खींच रहा था और अन्य उसमें बैठे थे। कथित तौर पर वे सभी उस तारीख को शाम करीब साढ़े पांच बजे उनकी दुकान पर चाय पीने आए थे। उन्होंने कहा: "लेकिन मुझे याद नहीं है कि उस शाम आरोपी के साथ मृतक के मेरी दुकान पर आने का तथ्य उल्लेखित किया गया या नहीं। मुझे मृतक का नाम नहीं पता था। न ही मैंने अपने बयान में इसे दर्ज किया। मुझे अगली सुबह हत्या के बारे में पता चला। मैंने इस तथ्य के बारे में ए. एस. आई. पृथ्वी सिंह टाइगर से

20.9.99 पर बात की थी। मैंने इस संबंध में 19.9.99 पर किसी से चर्चा नहीं की थी। यह कहना गलत है कि आरोपी व्यक्ति कभी मेरी दुकान पर नहीं आए और न ही वे मुझे जानते थे।

अन्य बातों के साथ-साथ लाए गए उक्त साक्ष्य पर या उसके आधार पर निर्भर रहते हुए अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराध करने के लिए दोषी पाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा इसके विरुद्ध दायर एक अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा अपीलों के समर्थन में निम्नलिखित तर्क उठाए गए थे:

(1) 20.9.1999 पर शव की बरामदगी साबित नहीं हो सकी क्योंकि मृतक के भाई निर्मल मेहरा (PW-3) ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 19 तारीख की शाम को ही चंडीगढ़ पहुंच गया था और उन्होंने रात में शव की पहचान की, जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 सितंबर, 1999 की सुबह शव मिला था।

(2) चंद्र प्रकाश (पीडब्लू-11) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने न तो स्पष्ट कहा था और न ही पुनःउन शब्दों को प्रस्तुत किया था जिनमें अपीलकर्ताओं ने अपनी न्यायिकेतर संस्वीकृति की है।

(3) हालाँकि रामानंद (पीडब्लू-19) और विनोद कुमार (पीडब्लू-24) दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक नशे में था, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से उसकी पुष्टि नहीं होती है।

(4) अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत आरोप नहीं लगाया गया है और उनके पास से कोई नकदी या कोई अन्य वस्तु बरामद नहीं हुई है, इसलिए अभियोजन पक्ष को अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप साबित करने में विफल माना जाना चाहिए। दूसरी ओर सुश्री कामिनी जैसवाल, प्रतिवादीकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पीडब्लू-3 के बयान को लेते समय मृत शरीर की बरामदगी की तारीख के संबंध में और पीडब्लू-3 द्वारा मृतक की पहचान के बारे में गलती की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में, विद्वान वकील के अनुसार विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के निर्णय को पीडब्लू-11 के समक्ष अपीलार्थियों द्वारा किए गए न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के आधार पर बरकरार रखा जा सकता है।

अभियोजन का विशिष्ट रूप से मामला यह है कि पी.डब्ल्यू. 16 के द्वारा 19.09.1999 को 7:20PM पर एक DDR No. 23 दर्ज करवायी गयी। मृतक की मृत्यु स्पष्ट रूप से 18 सितंबर, 1999 की रात को हुई थी। जाँच अधिकारी-निरीक्षक मोती राम (पीडब्लू-25) के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है, कि उन्हें 20.9.1999 को सुबह लगभग 9.10 बजे पर एक वायरलेस

संदेश मिला कि उद्योग भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ के पास एक शव पड़ा हुआ है। वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंचा। मृतक के सामान शव के पास बिखरे हुए पाए गए। इन वस्तुओं में एक ड्राइविंग लाइसेंस शामिल था। ड्राइविंग लाइसेंस से उसे मृतक का नाम और उसकी पहचान से संबंधित अन्य विवरणों के बारे में पता चला। इसके बाद प्रवीण गुलाटी को उक्त स्थान पर सुबह लगभग 10.15 पर बुलाया गया और उन्होंने शव की पहचान की। एक फोटोग्राफर को भेजा गया जो आया और लगभग 12 बजे मृतक की तस्वीरें लीं। उनके अनुसार, वह दोपहर 3:30 बजे तक घटना स्थल पर रहे। उससे पहले उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया होगा। डॉ. एस. पी. शर्मा (पीडब्लू-1) ने उक्त मृतक सतीश कुमार मेहरा के शव का पोस्टमार्टम 20.09.1999 काे लगभग 4:30 बजे किया। मौत का कारण 'एस्पैक्सिया' बताया गया था। उनके अनुसार, शव परीक्षण से 10 से 12 घंटे पहले मृतक की मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मृतक के भाई निर्मल मेहरा (पीडब्लू-3) ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा, कि वह 19.9.1999 को शाम 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचा उक्त तिथि को लगभग 10:30 P.M. बजे उन्हें उद्योग भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ के पास एक शव पड़े होने के बारे में पता चला। वह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे।

पुलिस अधिकारी पहले से ही उक्त स्थान पर मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने शव की पहचान की। उसकी भाभी, यानी मृतक की पत्नी ने कथित तौर पर उसे बताया था कि मृतक की जो वस्तुएँ यथा सोने की अंगुठी और घड़ी जो उसके पास थी, वे गायब हैं। उसने इस बात की भी संपुष्टि की कि एक चैक और ड्राइविंग लाइसेंस शव के पास पाए गए थे। उसके अनुसार, उसने पोस्टमार्टम से पहले शव की पहचान की थी।

यहाँ यह ध्यान देना सार्थक होगा कि चाय विक्रेता विनोद कुमार (पीडब्लू-24), ने भी कथित तौर पर आरोपी और मृतक को 18.9.1999 पर 10.30pm पर देखा। उसके अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों के साथ जो व्यक्ति था वह एक लड़का था। उन्हें अगले दिन सुबह यानी 19.9.1999 पर शव बरामद होने के बारे में पता चला। हालाँकि उसने इस बात की संपुष्टि नहीं की कि वह उस स्थान पर गया था जहाँ शव मिला था या उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की हो जाे उसकी दूकान पर 10.30 बजे उससे एक दिन पहले यानी 18.9.1999 पर आया था, उसने एक बयान दिया कि उसने मृतक को आरोपी के साथ 18.9.1999 को लगभग 10.30 p.m. पर देखा था। अगर उसके कथन पर विश्वास किया जाए तो 19 तारीख की सुबह ही शव बरामद किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी,

डॉ. एस. पी. शर्मा (पीडब्लू-1) के अनुसार मृतक की मृत्यु शव परीक्षण करने से 10 से 12 घंटे पहले हुई होगी। उपरोक्त आधार पर, अभियोजन के मामले पर विश्वास करना मुश्किल है।

अब हम चंद्र प्रकाश (पीडब्लू-11) के साक्ष्य को देख सकते हैं। विचारण न्यायाधीश के सामने उनके बयान इस प्रकार थे:

" 29.9.99 को सनी, संजय और राम आसरे मेरे गाँव बढेरी में मेरे घर आए। तीनों आरोपी आज अदालत में उपस्थित हैं। तीनों अभियुक्तों ने मुझे बताया कि हम सभी रिक्शा चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 18.9.99 पर हमने लगभग 50 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति को नशे की हालत में देखा। हम उस व्यक्ति को राम आसरा के रिक्शा में ले गए और सनी कपूर ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। अदालत में मौजूद आरोपी संजय चौथे व्यक्ति के रिक्शा में बैठा था जिसका नाम मुझे याद नहीं है। इसके बाद, उन्होंने बताया कि वे उसे सेक्टर 16 और 17 (लाइट पॉइंट) के आसपास और उस सुनसान जगह पर ले गए जहां लाइट उपलब्ध नहीं थी। उस व्यक्ति के पास एक थैला था जिसमें कीमती सामान था। उस थैले को देखकर उन्होंने कहा कि वे बेईमान हो गए। इसलिए, उनके द्वारा हाथों से गला घोटकर उसकी हत्या कर

दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आपस में लूट-पाट बांटी थी। उन्होंने यह भी बताया कि शव को सेक्टर 16/17 के परित्यक्त स्थान के पास पानी की एक खाई में फेंक दिया गया था। अभियुक्त ने यह भी बताया कि चौथे अपराधी को उनके द्वारा उसके गाँव इस निर्देश के साथ भेजा गया था कि मामला शांत होने के बाद उसे वापस लौटना चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यह कहकर कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, अभियुक्त ने मेरी मदद मांगी। इस पर मैं तीनों अभियुक्तों के साथ, जो न्यायालय में उपस्थित हैं, पुलिस थाना सेक्टर 17, चण्डीगढ़ जाने लगा। लेकिन रास्ते में इंस्पेक्टर मोती राम एस. एच. ओ. पी. एस. 17, की चौक सेक्टर 22/23.35/36 चण्डीगढ़ के पास हमसे मुलाकात हुई। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई जैसा कि आरोपी ने मुझे सुनाई थी। इंस्पेक्टर मोती राम ने तब मेरा बयान दर्ज किया..... ."

लेकिन, प्रतिपरीक्षा में उसने निम्नानुसार कहा:

" आज अदालत में मौजूद आरोपी पहली बार मेरे पास 29.9.99 पर दोपहर करीब 3/4 बजे आया। उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस को उन पर किसी हत्या के बारे में संदेह

है और वे मेरी मदद चाहते हैं। रास्ते में पुलिस दल मुझसे सेक्टर 22 में किसान भवन के पास मिला। इंस्पेक्टर मोती राम इस मामले से पहले मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते थे। मैं कभी भी किसी आपराधिक मामले में गवाह नहीं रहा हूं। कोई और अपराधी मेरे पास नहीं आया और केवल अदालत में मौजूद आरोपी मेरे पास आए थे। रिक्शा अभियुक्त व्यक्तियों का था। जब हम पुलिस स्टेशन जाने लगे तो मैं अपनी साइकिल पर था और अभियुक्त उनके रिक्शे में मेरे साथ थे। जब हम एक साथ जा रहे थे तो पुलिस दल हमें मिला। पुलिस दल अभियुक्त को रिक्शे सहित सेक्टर 22 से उस स्थान से जहां पुलिस दल हमसे मिला अपने साथ ले गया और मैं वहाँ से मेरे दूसरे काम चला गया। "

उनके अनुसार, इस प्रकार, आरोपी पहली बार 29.9.1999 पर उनके पास आया था। वे मदद के लिए क्यों आएंगे, इसका खुलासा नहीं किया गया था। वे केवल उसकी मदद इसलिए चाहते थे क्योंकि पुलिस ने उन पर किसी हत्या के संबंध में कुछ संदेह किया था। केवल इसी आधार पर अपीलार्थियों को कथित तौर पर पुलिस थाने ले जाया जा रहा था। पीडब्लू-11 ने यह खुलासा नहीं किया कि अपीलार्थी उसे कैसे जानते थे। उन्हें चौथे व्यक्ति का नाम याद नहीं था।

अपीलार्थियों के अनुसार, उन्होंने थैले को देखने के बाद ही हत्या करने का सामान्य आशय बनाया। यदि अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास किया जाए, तो मृतक के पास शुरू से ही थैला था। इस प्रकार पहली बार घटना से तुरंत पहले अपीलार्थियों द्वारा उक्त थैले पर ध्यान देने का कोई सवाल ही नहीं था। यदि उनका अपराध करने का सामान्य आशय था, तो मृतक के थैले को लिया जाकर डकैती करने के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए था। मृतक की गला दबाकर हत्या किसने की, इसका पता नहीं चल पाया है। यह सर्वविदित है कि कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को आई. पी. सी. की धारा 34 के अपकार को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थापित करने के लिए निम्नलिखित दो आधारभूत तथ्यों को स्थापित करना होगा; (i) अपराध करने का सामान्य आशय, और (ii) अपराध कारित करने में अभियुक्त की भागीदारी। यदि उपरोक्त दो अवयव संतुष्ट हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि साझा आशय रखने वाले व्यक्तियों में से कुछ की ओर से स्पष्ट रूप से कार्य किया गया हो। आई. पी. सी. की धारा 34 का अवलम्ब लेने के लिए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि संबंधित हमलावर का अन्य अभियुक्तों के साथ एक समान आशय था।

मुन्ना चंदा बनाम असम राज्य में हाल के एक निर्णय में, जे. टी. (2006) 3 एस. सी. 366 = [2006] 3 एस. सी. सी. 752, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

1. "यह सर्वविदित है कि सामान्य उद्देश्य की अवधारणा, सामान्य आशय से अलग है। यह सच है कि जहाँ तक सामान्य उद्देश्य का संबंध है, किसी पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। सामान्य उद्देश्य किसी भी पल बनाया जा सकता है। हालाँकि, जमाव के सदस्यों द्वारा अपनाया गया आचरण एक प्रासंगिक कारक है। विधिविरुद्ध जमाव, का सामान्य उद्देश्य किस समय बनाया गया था, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

1. XXX XXX XXX

2. इस प्रकार, यह साबित करना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति पर धारा 149 की सहायता से अपराध का आरोप लगाया गया है, वह अपराध किए जाने के समय इस विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था।

..... मृतक का न केवल अपीलार्थी बल्कि कई अन्य लोग भी पीछा कर रहे थे। अगली सुबह वह मृत पाया गया। हालाँकि, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने या तो संयुक्त रूप से या अलग से क्या भूमिका निभाई। यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या अंतिम

झटका दिए जाने के समय एक या सभी अपीलार्थी मौजूद थे। वे कौन हैं, जिन्होंने मृतक पर हमला किया था, इसका पता नहीं चल पाया है। जिनके हाथों में उन्हें चोटें आईं, यह फिर से एक रहस्य है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और न ही धारा 149 आकर्षित होती है।"

यह वास्तव में एक बहुत आश्चर्य की बात है कि भले ही अपीलकर्ताओं ने कथित रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, वे स्वेच्छा से पीडब्लू-11 के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। यह फिर से आश्चर्य की बात है कि वे रास्ते में जांच अधिकारी से मिलेंगे। हमें आश्चर्य होता है कि उक्त चंद्र प्रकाश (पीडब्लू-11) को कैसे पता चला कि इंस्पेक्टर मोती राम (पीडब्लू-25) मामले के जांच अधिकारी थे। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि अपीलकर्ताओं ने मृतक का एक स्पष्ट विवरण दिया ताकि उक्त चंद्र प्रकाश यह अनुमान लगा सकें कि मामला सतीश कुमार मेहरा। की हत्या से संबंधित है।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं द्वारा न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के द्वारा कौन से कथन किए गए थे, इसका खुलासा नहीं किया गया था। यह पूरी तरह से संभव नहीं है कि तीनों अपीलार्थी एक संयुक्त वक्तव्य ही देंगे। पीडब्लू-11 ने यह खुलासा नहीं किया कि क्या अपीलार्थियों में से किसी एक ने उसके समक्ष कथन किए या उन सभी ने एक के बाद

एक कथन किए। यह पूरी तरह से संभव नहीं है कि आरोपी किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति करेगा जिसे वे कभी जानते नहीं थे। यह भी पूरी तरह से असंभव प्रतीत होता है कि अज्ञात व्यक्ति उसकी मदद के लिए आएंगे जब तक कि वह पुलिस अधिकारियों के करीबी के रूप में नहीं जाना जाता हो। इस प्रकार, उनके बयान विश्वास को प्रेरित भी नहीं करते हैं।

एक अभियुक्त के न्यायिकेतर स्वीकारोक्ति के मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने जसवंत गिर बनाम. पंजाब राज्य, [2005] 12 एस. सी. सी. 438, में निम्नानुसार निर्धारित किया गया:

" पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि पीडब्लू 9 वह व्यक्ति नहीं है जिसके अपीलार्थी के साथ घनिष्ठ संबंध या दोस्ती थी। पीडब्लू 9 का कहना है कि वह अपीलार्थी को "कुछ हद तक" जानता था जिसका अर्थ है कि वह केवल उससे परिचित था। प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने कहा कि वे पहले उसके घर नहीं गए थे और वे अपीलार्थी से बस स्टैंड पर एक या दो बार मिले थे। ऐसा कोई सांसारिक कारण नहीं है कि वह पीडब्लू 9 के पास जाए और उसे बताए कि उसने क्या किया था। पीडब्लू 9 के अनुसार, अपीलार्थी पुलिस के सामने

आत्मसमर्पण करना चाहता था। लेकिन पीडब्लू 9 की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह उसे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं ले गया। उन्होंने केवल इतना कहा कि अपीलार्थी इसके बाद उपस्थित नहीं हुआ। जिन परिस्थितियों में पीडब्लू 9 पुलिस स्टेशन गया और 14-11-1997 को पुलिस द्वारा अपना बयान दर्ज कराया, वे भी सामने नहीं आ रहे हैं। इस संदर्भ में प्रतिपरीक्षा के समापन की ओर पीडब्लू 9 का कथन कुछ महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि उनके कुछ मामले न्यायालयों में लंबित हैं और वह उन मामलों के संबंध में पुलिस की मदद मांग रहा था और वह अक्सर पुलिस स्टेशन जुल्कन जाता था। इस प्रकार, वह अभियोजन पक्ष के लिए एक सुविधाजनक गवाह हो सकता है। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा की गई कथित स्वीकारोक्ति, जैसा कि पीडब्लू 9 द्वारा सुनाई गई है, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों आरोपी शामिल थे और पीडब्लू 9 ने पुलिस के सामने ऐसा कहा और पीडब्लू 9 द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, तीनों अभियुक्तों ने उसके सामने स्वीकारोक्ति दी, लेकिन उसने अदालत में एक अलग बयान दिया और यही कारण है कि वह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही गवाह माना गया और

उससे सूचक प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार, इस गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपीलार्थी का कथित बयान कि मृतक नशे की हालत में था, सही नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर को मृतक द्वारा शराब के सेवन का कोई सबूत नहीं मिला। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, हम सभी पहलुओं से आश्चर्य नहीं हैं कि पीडब्लू 9 द्वारा कथित अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति सही है। पुलिस और न्यायालय के समक्ष अलग-अलग बयान देने वाले पीडब्लू 9 की संदिग्ध गवाही के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 9 के साक्ष्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में चूक की और साक्ष्य की संदिग्ध विशेषताओं को ध्यान में रखने में विफल रहा।"

यदि कोई अपराध करने का सामान्य आशय था, तो स्पष्ट रूप से ऐसा ही मृतक की कीमती वस्तुओं को लूटने का भी था। दिलचस्प बात यह है कि अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत आरोप नहीं लगाया गया था। उनसे कोई बरामदगी नहीं की गई थी। आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत आरोपित किए जाने के अभाव में, अपीलार्थियों को हत्या का दोषी ठहराना मुश्किल है, क्योंकि यह साबित नहीं हुआ है कि अपीलार्थियों में से या चौथे व्यक्ति में से वास्तव में कौन है जिसने मृतक की गला घोटकर हत्या कर दी थी। किसी भी सबूत के अभाव में कि वे

सभी उस समय मौजूद थे जब मृतक का गला घोंटा गया था, धारा 302/34 के तहत आरोप को आकर्षित नहीं करता हैं। यहां तक कि रामानंद (पीडब्लू-19) ने भी अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा कि मृतक को आखिरी बार अपीलार्थियों के साथ देखा गया था। उन्होंने केवल मृतक को लगभग 9:30 बजे रात का खाना खाते देखा था। उस दिन, उन्होंने केवल राम आसरे को देखा था। उन्होंने यह नहीं कहा कि मृतक राम आसरे के रिक्शा में बस स्टैंड से निकला था। उन्होंने यह भी खुलासा नहीं किया कि अन्य अपीलार्थी भी मौजूद थे। वह मृतक की या उनकी रेहड़ी पर भोजन करने वाले किसी अन्य यात्री की पहचान कैसे कर सकता था, के बारे में पता नहीं है। इस प्रकार उनके बयानों पर भरोसा करना मुश्किल है। वह तस्वीर से मृतक को, जो ड्राइविंग लाइसेंस में दिखाई दे रहा था, याद और उसकी पहचान कर सकता था, उसे स्वीकार करना मुश्किल है।

इस न्यायालय ने जसवंत गिर बनाम. पंजाब राज्य, (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया कि:

पी. डब्ल्यू. 14 के साक्ष्य से प्राप्त "अंतिम बार देखे जाने के सिद्धान्त" की शुद्धता की आगे जांच किए बिना, यहां तक कि यह मानते हुए भी कि मृतक आरोपी के साथ उनके वाहन में था, यह परिस्थिति अपने आप में इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है कि अपीलार्थी

और उसके साथी ने उसे मार डाला था और मृत शरीर को पुलिया में फेंक दिया था।

यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी और उसके साथी हत्या के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है। मृतक के अपीलार्थी के वाहन में सवार होने और उस समय के बीच जब पीडब्लू 11 को शव मिला था काफी समय का अंतराल है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में किसी अन्य संबंध के अभाव में, अपीलार्थी को केवल "अंतिम बार देखे गए" साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना संभव नहीं है, भले ही इस संबंध में पीडब्लू 14 का संस्करण मान लिया जाता हो। इसे ध्यान में रखते हुए, पीडब्लू 9 का साक्ष्य उसके समक्ष अपीलार्थी द्वारा किए गए कथित स्वीकारोक्ति के संबंध में महत्व धारण करता है।

अपीलार्थियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया है। अब इस न्यायालय के कई फैसलों से यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध कारित करने को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को श्रृंखला में सभी सम्बन्धों को जोड़ने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से केवल आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और किसी का नहीं। हाल ही में रामरेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2006) 3 स्केल 452, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया कि:

“यह अब सुस्थापित हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किए जाने हेतु अभियोजन पक्ष को अभिशंषित करने वाली सभी भागों को भरोसेमन्द और मजबूत साक्ष्य के द्वारा स्थापित करना होगा और इस प्रकार साबित परिस्थितियों घटनाओं की शृंखलाओं का निर्माण इस प्रकार करें कि अभियुक्त की दोषिता के अतिरिक्त कोई निष्कर्ष ना निकले। परिस्थितियों दूसरी अन्य कल्पनाओं पर नहीं हो सकती हैं। यह भी अब सुस्थापित हैं कि संदेह, यद्यपि तीव्र सबूत का प्रतिस्थापक नहीं हो सकता हैं और न्यायालयों को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानने हेतु आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए.....

आखिरी बार देखे जाने का सिद्धान्त, तब प्रवर्तन में आता हैं जब वह समय जब अभियुक्त व मृतक एक साथ जीवित देखे गए थे और अभियुक्त के मृत पाए जाने वाले समय के बीच अन्तराल इतना कम हो कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य का अपराध किया जाना असंभव हो जाए। ऐसे मामलों में न्यायालयों को कुछ संपुष्टि के लिए भी देखना चाहिए।”

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक अन्य व्यक्ति शामिल था जिसका नाम जाँच के दौरान कभी सामने नहीं आया। उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह वह व्यक्ति था जो मृतक का पूरा सामान लेकर भाग गया था।

हमने तारीख व मृत शव की बरामदगी के संबंध में भी दो स्पष्ट विसंगतियां देखी हैं। रामानन्द (पीडब्लू-19) और विनोद कुमार (पीडब्लू-24) की साक्ष्य जिन्होंने अपीलार्थी राम आसरे के साथ मृतक को अन्तिम बार देखा था, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। यह और भी मुश्किल है कि पीडब्लू-24 के इस कथन को स्वीकार करें कि मृतक सभी अपीलार्थियों के साथ चाय पीने के लिए सेक्टर 17 के कचरे के रास्ते से उसकी दुकान पर आएगा। एक व्यापारी आम तौर पर अपनी चाय पीने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान पर नहीं जाता है। इस बात की पूरी संभावना नहीं है कि वह एक रिक्शा चालक के साथ चाय पीएगा। यह कहना बेतुका होगा कि वह किसी दुकान पर सभी अपीलकर्ताओं के साथ एक साथ, जो सभी रिक्शा चालक हैं, चाय पीने जाएगा। वह दिल्ली का रहने वाला था। इस बात की शायद ही कोई संभावना थी कि वह अपीलकर्ताओं को यहाँ व्यक्तिगत रूप से जानता होगा। भले ही यह माना जाए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रिक्शा में जा रहा था, अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए कुछ साक्ष्य लाना चाहिए था कि उसने राम आसरे या किसी अन्य अपीलार्थी का रिक्शा किराए पर लिया था। अभियोजन पक्ष के

गवाहों ने दो रिक्शा की बरामदगी के बारे में बताया। दूसरे रिक्शा का मालिक कौन था यह स्थापित नहीं किया गया। राम आसरे का रिक्शा महाराज दीन पुत्र झालू (पीडब्लू-7)का था, जिसने अपना रिक्शा राम आसरे को किराए पर दिया था, जैसा कि उसने अपनी साक्ष्य में कहा। उसने पुलिस स्टेशन में अपने रिक्शा की पहचान की। यह आशा नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थी ने दोनों रिक्शा किराए पर लिए थे।

यहां तक कि धारा 120-बी के संदर्भ में षडयन्त्र का कोई आरोप भी नहीं लगाया गया था।

उपरोक्त कारणों से, हम ऐसे साक्ष्य के आधार पर यह राय रखते हैं कि दोषसिद्धि के निर्णय और अपीलार्थियों के विरुद्ध पारित दंडादेश को बनाए रखना सुरक्षित नहीं होगा। हम विवादित निर्णय को अपास्त करते हैं। अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थियों की स्वतन्त्रता को पुरस्थापित करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यक न हो।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सौभाग्य सिंह चारण** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।